साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा उखाड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपने खर्चे से सरकार की ओर से, वहां पर प्रतिमा लगा कर पार्क बनाया। इसलिये मैं रिक्वैस्ट करती हूं कि केन्द्र की सरकार दिल्ली की सरकार को यह आदेश करे कि जो प्रतिमा डी०डी०ए० अधिकारियों ने उखाड़ी है, उस प्रतिमा को सरकार दोबारा लगाये और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। धन्यवाद।

Return at Padma Award by Sort Aaaa Saheb Hasan

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान महाराष्ट्र की एक घटना पर ले जाना चाहता हूं। अन्ना साहब हजारे, इन्होंने पिछली एक मई से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की हुई है। पिछले चार वर्षों से यह एक भ्रष्टाचार के मामले को उठा रहे हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, केन्द्रीय सेवा के भी जिसमें छह अधिकारी हैं, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सारे प्रयत्नों के बाद भी सरकार उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही। एक महीना पहले इसी से निराश होकर अपने प्रयत्नों से, उन्होंने अपनी पदमश्री की उपाधि भी लौटा दी। उसके बाद वह एक मई से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथी भी उनके साथ हैं। वह यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो केन्द्रीय सरकार अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाये। मैं चाहूंगा कि सरकार एक वक्तव्य दे, इस कार्यवाही के प्रारम्भ करने का, ताकि पदम-भूषण अन्ना साहब हजारे यह भूख हड़ताल समाप्त कर सकें।

Lathi *charge* on women and children In Ayodhya

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, लोकतन्त्र में राजनैतिक दलों को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिये धरना देने, प्रदर्शन करने, सत्याग्रह करने और आन्दोलन करने का अधिकार है। सभी राजनैतिक दल प्राय: ऐसा करते रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। महोदया, कल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद का जो बहुत चर्चित स्थान है, अयोध्या, वहां पुलिस ने बड़ा कहर मचाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने अपना धरने पर बैठे थे। उस धरने में बैठे लोगों में महिलायें भी थीं, जिनमें कुछ दूधमुंहे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठी थीं।

महोदया, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामजी पण्डा ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक नोट पीछे छोड़ा था, जिसे कानून की निगाह में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं और जब डाइंग डिक्लेरेशन हो, तो कानून की निगाह में उससे ज्यादा बेहतरीन साक्ष्य नहीं होती और उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है। उसमें किसी व्यक्ति को फंसाने, बहकाने या भड़काने की बात नहीं है, बहुत साफ लिखा है कि उस डाइंग डिक्लेरेशन में, कि मैं आत्महत्या सरकार द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा उत्पीड़न के कारण कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र से दो बार निर्वाचित लोकप्रिय विधायक लल्लूसिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। उस मुकदमें को खतम कराने के लिए वहां के कार्यकर्ता मांग करते रहे और उन्होंने कल वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, और धरना दिया जिसमें लल्लू सिंह भी बैठे हुए थे। वसे भी व्यावहारिक बात नहीं है कि भीड़ से किसी को गिरफ्तार किया जाये अगर गिरफ्तार करना था किसी मुकदमें में, तो कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, संपत्ति कुर्क की जा सकती थी, लेकिन जहां सैंकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हों, जिसमें महिलाएं भी हों, उसमें पुलिस